राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 897 व 898/2014.....जिला.....श्रीगंगानगर.....
उनवान–मैसर्स मिगलानी ट्रेडिंग कम्पनी, बनाम् वा.क.अ., वृत्त–राजयसिंहनगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त दो अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 05.05.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें वा.क.अ., वृत्त–रायसिंहनगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष **2009–10 व 2010–11 के लिये पारित पृथक–पृथक निर्धारण आदेश दिनांक 05.02.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, क्रमशः रूपये 11,82,227/– रूपये 21,04,431/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषकगण श्री वी.के.पारीक व श्री श्याम पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा बहस हेतु दिनांक 23.06.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 783/201/श्रीगंगानगर मैसर्स कालड़ा किराना स्टोर, गजसिंहपुर बनाम् वा.क.अ., रायसिंहनगर, निर्णय दिनांक 13.06.2014 में समान बिन्दुओं पर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र स्वीकार किया गया है । चूंकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवम् विवादित बिन्दु भी उक्त न्यायिक दृष्टांत से पूर्णतः आच्छादित है । अतः ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर बकाया मांग राशि क्रमशः रूपये 11,82,227/– रूपये 21,04,431/– की वसूली पर इस शर्त के साथ लगायी जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । निर्णय सुनाया गया । (अमर सिंह) 24-6-14 सदस्य 24-6-2014 (मदन लाल) सदस्य	